फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

परमानन्द **बनाम** हजारी आदि

किस्म मुकदमा:–212 आरटीए प्रकरण संख्या:– 141/2023

(3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.01.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी के पिता अप्रार्थी नं0 1 के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 2 जीएमडी खाता नं0 70 प0न0 66/322 कि0न0 1/3, 3/1 ता 15, 18 ता 21/2 = 3.378 है0 खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 2 ता 3 आपस में कुल तीन भाई बहने हैं। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा घरेलू बंटवारा में प्रार्थी को 1/3 हिस्सा काश्त हेतु दे रखी है। जैर प्रार्थना पत्र रकबा प्रार्थी के दादा मनफूल के आंवटन हुई थी। जो कि दादा के देहान्त पश्चात् विरासतन अप्रार्थी नं0 1 को मिली है। जो कि पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा बनता हैं। अप्रार्थी नं0 1, 80 वर्षीय वृद्व है। जिसके वृद्वावस्था का नाजायज फायदा उठा जैर वाद रकबा का दानपत्र अप्रार्थी नं0 2 व 3 द्वारा ब0हि0ब0 अपने हक में करवा लिया है। चुंकि भूमि पैतृक है। दानपत्र दिनांक 26.05.2023 प्रार्थी के हको पर बेअसर है। अप्रार्थी नं0 2 व 3 दानपत्र दिनांक 26.05.2023 के आधार पर उक्त भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर खुर्दबुर्द करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी नं0 2 व 3 इसमें कामयाब हो जाता हैं तो प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा जबकि सुविधा सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जैर प्रकारण रकबा की बाबत पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1 ता 3 ने तर्क किया कि प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना रकबा की बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया हैं जिससे साबित हो कि जैर प्रार्थना पत्र रकबा पैतृक रकबा हैं। जैर प्रार्थना पत्र रकबा अप्रार्थी नं0 1 को "सी" श्रेणी में आवंटन हुआ था। जो कि सहायक उपनिवेश न आयुक्त द्वारा दिनांक 08.10.1974 को पुख्ता कर दी गई। जिसकी समस्त किश्ते अप्रार्थी नं0 1 द्वारा कड़ी मेहनत कर खजाना राज में जमा करवाई गई है। जो कि अप्रार्थी नं0 1 की स्वअर्जित सम्पति है। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा कभी भी जैर प्रार्थना पत्र की भूमि का बंटवारा नही किया है। समस्त भूमि का कब्जा आज भी अप्रार्थी नं0 1 मेरे पास है। प्रार्थी, अप्रार्थी नं0 1 से करीबन 10 सालो से अलग रहता हैं। प्रार्थी के अलग होने पर अप्रार्थी नं0 1 द्वारा प्रार्थी को उसके परिवार के पालन पोषण के लिये 25–00 बीघा भूमि तहसील छतरगढ के चक 5 एमएस में उसकी पत्नी के नाम से खरीद कर दे रखी है। इसके अलावा तहसील मोहनगढ के चक 7 डीडी व 5 डीडी में कुल 26–00 बीघा भूमि अप्रार्थी नं0 1 की पत्नी के नाम से थी, जो कि प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र के नाम से हस्तान्तरण करवा रखी है। इस प्रकार प्रार्थी अपने परिवार के साथ संयुक्त रूप से 51–00 बीघा धारण करता है। जैर प्रार्थना पत्र रकबा कभी भी स्व0 मनफूल के ना से नही रहा है। विवादित रकबा अप्रार्थी नं0 1 को आंवटन होने के कारण स्वअर्जित श्रेणी में आता है। जिसका अप्रार्थी नं0 1 कानूनन अपनी इच्छा अनुसार उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र है। इसी अधिकार के चलते अप्रार्थी नं0 1 द्वारा अप्रार्थी नं0 2 व 3 के पक्ष में दानपत्र करवाया है। जो कि विधि अनुरूप हस्तान्तरण है। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा अप्रार्थी नं0 2 व 3 के पक्ष में करवाया गया दानपत्र पूर्णतया सोच समझ कर पूर्ण होश हवाश में करवाया गया है। जो कि वैध दस्तावेज है। शुन्य दस्तावेज की श्रेणी में नही आता है। दानपत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकारी सिविल न्यायालय को है। दान पत्र के निरस्त से पूर्व प्रार्थी राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष पाने का हकदार नही है। अप्रार्थी नं0 1 ने अपना स्वअर्जित रकबा अप्रार्थी नं0 2 व 3 को वैधानिक दस्तावेज दान पत्र के आधार पर हस्तान्तरण कर मौका पर कब्जा दे दिया है। मात्र दानपत्र का इन्तकाल दर्ज ना हो इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर एकतरफा तौर पर न्यायालय को धोखा देकर स्थगन प्राप्त किया है। जमाबंदी में अप्रार्थी नं0 2 व 3 के नाम से दनपत्र का इन्द्राज नही होने के कारण अप्रार्थी नं0 2 व 3 को आर्थिक नुकसान हो रहा है। नामान्तरण के अभाव में अप्रार्थी नं0 2 व 3 कोई भी सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहें है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(4)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जबकि अप्रार्थी नं0 2 व 3 के हक में किया गया दानपत्र कानूनन सम्मत दस्तावेज है। अतः प्रथम दृष्टया मामला मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के हक में साबित नही है। प्रार्थी को धारण में 51–00 बीघा भूमि होने के कारण न पूरा होने वाला नुकसान भी प्रार्थी को नही है। जबकि अप्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन साबित हैं तथा न पूरा होने वाला नुकसान भी अप्रार्थीगण को हो रहा है। इसलिये प्रार्थना प्रार्थी का झूठे तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किया जावे। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावें।

योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रस्तुत नजीर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबन्दी अनुसार चक 2 जीएमडी खाता नं0 70 प0न0 66/322 कि0न0 1/3, 3/1 ता 15, 18 ता 21/2 = 3.378 है0 खातेदारी भूमि अप्रार्थी नं0 1 के नाम से है। पूर्व में उक्त रकबा स्व0 मनफूल के नाम से था एवं विरासतन अप्रार्थी नं0 1 को प्राप्त हुआ हैं इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नही किये हैं। जबकि जैर प्रार्थना पत्र रकबा अप्रार्थी नं0 1 को आंवटन शुदा हैं इस तथ्य को अप्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। इसके अलावा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी तहसील छतरगढ के चक 5 एमएस, चक 7 डीडी व 5 डीडी के अवलोकन से साबित हैं कि प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी नं0 1 के माध्यम से 51–00 बीघा भूमि अपने परिवार सहित धारण करता है। इस प्रकार प्रार्थी अपने हिस्से से अधिक भूमि चक 5 एमएस, 7 डीडी व 5 डीडी में प्राप्त कर चुका है। अतः प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू साबित नही होते है। अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के अभिलिखित खातेदार है एवं अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है और इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में रहते है। ऐसी दशा में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हम निरस्त करना उचित समझते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं पूर्व में जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.07.2023 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(संदीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)